न्यायालय उपजिला कलक्टर एवं उपजिला मजिस्ट्रेट मलारना डूंगर

(पीठासीन अधिकारी (मुकेश कुमार कायथवाल) आर0 ए0 एस0

ा नम्बर	तारीख रजु	तारीख निर्णय
014	25.06.2014	15.05.2017

ुकेश पुत्र जगन जाति बैरवा निवासी मलारना चौड तहसील मलारना डूंगर अपीलांट

बनाम

शर पत्नी जगन निवासी मलारना चौड तहसील मलारना डूंगर
शंति पुत्री जगन निवासी मलारना चौड तहसील मलारना डूंगर हाल निवासी थलोज तहसील लालसोट पत्नी धनश्याम जाति बैरवा
गीता पुत्री जगन निवासी मलारना चौड हाल निवासी खिरनी तहसील मलारना डूंगर
सरपंच ग्राम पंचायत मलारना चौड रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व नामा0 संख्या 2547 ग्राम मलारना चौड

उपस्थित –शंभुलाल मीना एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से

<u>निर्णय</u>

अपीलार्थी नें अपील विरूद्व नामा0 संख्या 2547 ग्राम पंचायत मलारना चौड इस आशय की ेश की है कि अपीलार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का दत्तक पुत्र है। जिसका रजिस्टर्ड गोद नामा भी दिनांक 06.12.1993 को प्रार्थी अपीलांट के पक्ष मे तस्दीक करवाया गया है।विवाद ग्रस्त आराजीयात अपीलांट के दत्तक पिता की आराजी है। अपीलार्थी के दत्तक पिता का नाम जगन है जिसकी मृत्यु हो जाने पर जगन की आराजी का विरास्त नामा0 संख्या 2547 रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के पक्ष मे गलत रूप से तस्दीक किया गया, अपीलार्थी ने अपनी अपील के समर्थन मे दफा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम 1963 का प्रार्थना पत्र यह कहते हुए प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी को उक्त नामा0 की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 09.06.2014 को हल्का पटवारी मलारना चौड के पास उक्त खाते की नकल प्राप्त करने पर हुई इससे पूर्व प्रार्थी को उक्त नामा0 की कोई जानकारी नही थी इस कारण प्रार्थी को अपील पेश करने मे हुई देरी को माफ करते हुए अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जावे एवं नामा0 संख्या 2547 को निरस्त फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 06.012.1993 का अवलोकन किया गया जिसमे स्पष्ट है कि की अपीलांट के दत्तक पिता जगन की मृत्यु दिनांक 06.12.1993 के पूर्व हीं हो चूकि है क्योकि रजिस्टर्ड गोदनामा साबित होती है अपालार्थी का यह कहना है कि अपीलार्थी को उक्त खाते की नकल लेने पर हल्का पटवारी से हुई हे जो कतई गलत है। क्योकि अपीलार्थी ने इस सन्दर्भ मे हल्का पअवारी का कोई शपथ पत्र भी अपील के साथ प्रस्तुत नहीं किया है।नाहीं अपने प्रा. पत्र मे यह बताया है कि उसे उक्त खाते की नकल की आवश्यकता किस वजह से हुई जबकि अपीलार्थी एक पढा लिखा राज्य कर्मचारी है जिसेक कानून का भली भांती ज्ञान है अपीलार्थी ने अपनी अपील मे यह भी नहीं बताया की प्रार्थी के दत्तक पिता जगन की मृत्यु कब हुई है।नाहीं मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया नाही यह बताया है कि जगन की विरासत का

मुकेश कुमार कायथवाल
उप जिला कलेक्टर
मलारना डूंगर (स.मा.)

Scanned by CamScanner

नाम0 किस तारिख व किस सन मे तस्दीक किया गया है रिकार्ड तहसील मलारना डूंगर का अवलोकन किया जाने पर ज्ञात हुआ की नामा0 संख्या 2547 दिनांक 09.02.1986 को निर्णय हो चूका है।

अतः अपील अपीलार्थी के साथ प्रस्तुत दफा 5 के प्रार्थना पत्र के संदर्भ मे वकील अपीलार्थी द्वारा दी गई दलीलो से संतुष्ट नही होने के कारण दफा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम 1963 खारिज किया जाता है। अपील अपीलांट नामा0 संख्या 2547 वाके ग्राम मलारना चौड मियाद बहार होने से खारिज कि जाती है।

पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.05.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
उप जिला कलक्टर
मलारना डूंगर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Verma
Date: 2019.11.22 14:39:12 IST
Reason: SelfAttested
Location: